भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 7

(जिसका उत्तर सोमवार 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

'16वें वित्त आयोग का गठन'

***7. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः**

प्रो. सौगत राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 16वें वित्त आयोग के गठन में अनुचित विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने कर विभाजन के अनुपात की सिफारिश करने वाले वित्त आयोग के अभाव में अपनी पात्र देय राशियों को जारी करने के संबंध में मुद्दा उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को वित्त आयोग के अभाव में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राजस्व हिस्से को बढ़ाने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'16वें वित्त आयोग का गठन' के संबंध में संसद सदस्य श्रीमती प्रतिमा मण्डलः और प्रो. सौगत रायः द्वारा पूछे गए दिनांक 04 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या *07 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) 15वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि 06 वर्ष अर्थात् 31.03.2026 तक रहेगी। सामान्य तौर पर वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में दो वर्ष का समय लगता है। 16वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी। इसलिए, 16वें वित्त आयोग के गठन में कोई, उचित या अनुचित, विलंब नहीं हुआ है।

(ख, ग और घ) जी, नहीं। 15वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि 31 मार्च, 2026 तक है। इसलिए 31 मार्च, 2026 तक केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा 15वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है।

(ङ और च) जहां तक राज्यों के राजस्व का संबंध है, यह वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

****